





## मोदी को आज लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित करेंगे पवार

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री ने नेंद्र मोदी मंगलवार को महाराष्ट्र के तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किए जाएंगे। कार्यक्रम के मुख्य अंतिम शरद पवार होंगे, जो पीएम को सम्मानित करेंगे।

इस दौरान पीएम दगड़ूसेरे गणपति मंदिर में पूजा-अर्चना करेंगे और विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम ने बयान में कहा, पुणे में फेज-1 के दो गलियारों के उद्घाटन के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार दोपहर 12.45 बजे में ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। ये खंड मुगेवाड़ी स्टेशन से सिविल कोटी स्टेशन और गरवारे कॉलेज स्टेशन से रुबी हाँल किलानिक स्टेशन तक हैं। इस परियोजना की आधारशिला भी पीएम मोदी ने 2016 में रखी थी। कार्यक्रम में पीएम मोदी और शरद पवार के एक मंच पर होने से सियासित तेज हो गई है। ईंडिया गढ़वालन के कुछ सदस्यों ने इस पर एतराज जताया है।



## एमवीए ठान लें तो महाराष्ट्र में बदलाव ला सकता है: पवार

मुंबई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के अध्यक्ष शरद पवार ने कहा है कि अगर उनकी पार्टी, कांग्रेस और शिवसेना (यूवीटी) मजबूत निर्णय लें, तो वे महाराष्ट्र में बदलाव ला सकते हैं। आपको बता दें कि शरद पवार की राकांपा, कांग्रेस और शिवसेना (यूवीटी) राज्य में महा विकास अचाही (एमवीए) के घटक हैं। पवार ने यह भी दावा किया कि वर्तमान राज्य सरकार के साथ जुड़ाना मुश्किल है। शरद पवार का यह बयान ऐसे समय में आया है जब महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर तीनों दल अलग-अलग बातें कर रहे हैं। पवार ने याद किया कि कैसे पिछली सरकारों ने प्राप्तिनिधि क्षेत्रों में अनुपस्थिति साहित्य और इतिहास को संरक्षित करने में मदद की। उन्होंने कहा, “लेकिन अब हमारे लिए पर्याप्त होई समाधान निकलना चाहिए। अगर हम तीनों (एमवीए के घटक) फैसला कर लें तो वे बदलाव हो सकता है।”

## कोर्ट ने सिसोदिया की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया

नई दिल्ली। दिल्ली की राजें एवं न्यू कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मीषा परिवेशदिया की उस याचिका पर प्रत्यक्ष निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया, जिसमें उन्होंने अपनी पती के इलाज और अन्य घरेलू खर्चों के लिए बैंक खाते से कुछ रकम निकालने की अनुपस्थिति मांगी थी। इस अकाउंट को ईडी ने सीज कर दिया। विशेष न्यायाधीश एम के नामांकन ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति बीआरा गवर्नर, न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार और न्यायमूर्ति संजय कुमार को सुनवाई करेंगे।

## विपक्ष के तरक्की में आखिरी तीर

आदिति फडणीस

कई लोगों का मानना है कि नेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को कुछ ही दिनों में जिस अविश्वास प्रस्ताव का समाप्त करना पड़ा वह सेल्ट-गोल (आत्मघाती) जैसा ही है। लोकसभा में विपक्षी दल के एक संसद का कहना है, 'हम अविश्वास प्रस्ताव को अपने तरक्की का एक अहम हथियार मानते रहे हैं।' लेकिन यह मुख्य मुद्दा नहीं था क्योंकि हमें इस बात का अच्छी तरह अंदाजा था कि अंकड़े हमारे खिलाफ हैं।' वह कहते हैं, 'अगर प्रधानमंत्री ने लोकसभा में 'मणिपुर' शब्द कहा होता (उठाने उस शर्मनाक वीडियो के बारे में संसद भवन के बाहर कुछ कहा और हमने सोचा कि वह सदन में भी इस मामले पर चर्चा करेंगे। हम हमें दबाव डाला होता कि इस पर चर्चा कराएं। हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बोलें, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से दबाव कर दिया। अब हमारे पास न केवल लोकसभा में बल्कि गजयसभा में भी सरकार को कठरे में खड़ा करने का मौका है और उनकी विफलता न केवल मणिपुर में सांवित हुई है जबकि कई अन्य मुद्दों पर भी यह उजागर हुआ है और इसके लिए सरकार ही दोषी है।'

कांग्रेस संसद मनीष तिवारी कहते हैं, 'यह संख्या बल का नहीं बल्कि नैतिकता का मामला है। कौन जानता है, मणिपुर में होने वाली घटनाएं सायद सत्ताधारी पार्टी के कुछ सांसदों को भी हालांकां साथ मिलकर मतदान करने के लिए बाध्य कर दें।' विपक्ष सरकार पर निशान साधने के लिए तैयार है। वर्हां सत्तारूढ़ गठबन्धन, संसद में जितना संभव हो उत्तर विधेयकों को पारित के लिए आगे बढ़ा रहा है। उससे तरफ असम के कांग्रेस संसद गठबन्धन, गोगोई ने इस तरह की कार्रवाई को 'अवैध' घोषित है। गोगोई का कहना है, 'जब अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है और अध्यक्ष (ओम बिरला) ने इसे स्वीकार कर लिया है तब नियम यह है कि सरकार को अविश्वास प्रस्ताव को प्राथमिकता देनी चाहिए और अन्य सभी कार्यवाही रोक देनी चाहिए।' सोच यह है कि आगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तब सरकार को इस्टीफा देना होगा और वैष्णी विधित में इसकी वैधता सबलों के बोरे में आ जाती है। यह सरकार विधेयकों को ऐसे पारित कर रही है जैसे यह कोई समाधारित दिनचर्या का काम हो।' 'लोकसभा अध्यक्ष अविश्वास प्रस्ताव के लिए उन्निट तरीके पर विचार कर रहे हैं और ऐसी दौरान खान एवं खनिज (विनियमन) संसोधन विधेयक, 2023, राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडिवलरी आयोग विधेयक, 2023, और राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक, 2023 लोकसभा में पहले ही पारित हो चुका है।' निचले सदन ने 30 मिनट में वन (संरक्षण) संसोधन विधेयक, 2023 पारित किया था। राज्यसभा में संविधान (अनुसूचित जनजाति) अदेश (तीसरा संसोधन) विधेयक, 2022 ध्वनित से उस दौरान पारित किया गया जब विपक्ष ने बोकाइटट किया। राज्यसभा ने सिनेमेटोग्राफ (संसोधन) विधेयक, 2023 को भी मंजूरी दे दी। संसद भवन के बाहर केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा, 'हमें विपक्ष से चर्चा (मणिपुर) के लिए आगे बढ़ा रहा है।' लोकसभा की मांग अविश्वास प्रस्ताव को लेकर थी। निश्चित रूप से हम इस गुट को हारा देंगे लेकिन सबलों के लिए इसे बदल दिया गया है कि सरकार इस बीच काम करना बदल दें।' विशेषज्ञों का कहना है कि अविश्वास प्रस्ताव लाने का मतलब सरकार के बाहर केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा, 'हमें विपक्ष के लिए उनके लिए आगे बढ़ा रहा है।' उनका कहना है कि मौजूदा गतिरोध इसलिए पैदा हुआ कि प्रधानमंत्री ने संसद में मणिपुर पर बयान देने की विपक्ष की मांग नजर अंदाज कर दी। ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव, प्रधानमंत्री को बोलने के लिए मंजूर बनार कर सकता है कि वह मणिपुर पर बोलें या नहीं। संसदीय इतिहास के जानकार एक विशेषज्ञ का कहना है, 'अविश्वास प्रस्ताव में वाक्पटूना की पूरी आजमाश होती है।' अमूमन, इस दौरान गुणवत्तापूर्ण भाषण दिए जाते हैं। भारत बोलने की बात आती है तब इस लिहाज से प्रधानमंत्री का बयान द्वारा होता है, बास्तव में विपक्ष में कोई भी ऐसा नहीं है जो उनकी बाबरी कर सके। हालांकि विपक्ष के पास राज्यसभा में अच्छे वक्त हैं। लेकिन वहां इस मामले में नियम 267 के तहत चर्चा की जाएगी। यह समान नहीं होगा।' हालांकि इस बारे में किसे अविश्वास प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए। सैद्धांतिक रूप से प्रधानमंत्री को ही

## ज्ञान/मीमांसा

# सीधे आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी

### शेखर गुप्ता

आगामी आम चुनाव के पहले दौर के मतदान में बमुश्किल अठ महीने का समय बचा है और चुनाव प्रचार अधियान जोर पड़ चुका है। प्रधानमंत्री नेंद्र मोदी की गतिविधियां, उनके भाषण, उनके सहायकों और तमाम प्रमुख राजनेताओं के भाषणों में इसे देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री के अहम विदेशी नीति संबंधी कदमों में भी इसे देखा जा सकता है। इस बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। प्रचार अधियान तो जल्दी शुरू हो जी गया है, सच यही विपक्ष भी साझा उद्देश्य के साथ आगे बढ़ा जा रहा है। यह बात तो निर्वाचन वाले लोकतंत्रों के डीएनए में ही शामिल है। इस पर चर्चा करेंगे।

पिछले चुनाव में यांत्रिक विधेयकों को पारित के लिए आगे बढ़ा रहा है।

कांग्रेस संसद मनीष तिवारी कहते हैं, 'यह संख्या बल का नहीं बल्कि नैतिकता का मामला है। कौन जानता है, मणिपुर में होने वाली घटनाएं सायद सत्ताधारी पार्टी के कुछ सांसदों को भी हालांकां साथ मिलकर मतदान करने के लिए बाध्य कर दें।'

विपक्ष सरकार पर चर्चा करते हैं, 'यह मणिपुर पर चर्चा कर रहा है।'

पिछले चुनाव में यांत्रिक विधेयकों को पारित के लिए आगे बढ़ा रहा है।

जिसका अधिकारी इसके लिए बाध्य कर रहा है।

## विविध समाचार

# ज्ञानवापी पर मुस्लिम समाज ऐतिहासिक गलती मानते हुए प्रस्ताव लाये : योगी आदित्यनाथ

नोएडा। ज्ञानवापी मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। सीएम योगी ने कहा कि मस्जिद के अंदर त्रिशूल क्या कर रहा था। मस्जिद कहोंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको हृषि दी है वो देखें ना त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है, हमने तो नहीं रखा है ना। ज्ञानवापीं हैं देव प्रतिमाएं हैं। दीवांगें चिल्हा-चिल्हाकर क्या कह रही हैं। उधर, सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने पलटवार करते हुए इसे विवाद को हवा देने वाला बयान बताया।

सीएम योगी ने कहा कि मुझे लगता है कि एपीएम योगी के तरीके से होगा, अपने घर में होगा। अपनी मस्जिद, अपने इलादाता है तक होगा। इसका पर प्रदर्शन करने के लिए और इसको आप जो है किसी भी अन्य तरीके से दूसरे पर थोप नहीं सकते। नेशन फर्स्ट। अगर देश में किसी को रहना है तो राष्ट्र को सर्वोपरि मानना है, अपने मत और मजहब को नहीं।

बहीं, ज्ञानवापी को लेकर सीएम योगी के बयान का संत मामला ने स्वयंपत किया है। अखिल भारतीय संस समिति महामंत्री एनएआई के पॉडकास्ट में अपनी बात रख रहे थे। इस दौरान ज्ञानवापी का लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने बड़ा बयान दिया।

इस दौरान एक और अन्य सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने



कहा कि देश सर्विधान से समाज को पहल करने की जरूरत है।

### स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया पलटवार

सीएम योगी के बयान पर पलटवार करते हुए सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि सभी धार्मिक स्थलों की 15

### ज्ञानवापी मामले पर योगी के बयान पर ओवैसी का पलटवार

योगी आदित्यनाथ के बयान पर एपीएम प्रमुख असंतुष्टि ओवैसी ने भी यह जानते हैं कि मस्जिद पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एपीआई सर्वोपरि संस्कृत का विरोध किया है। इस मामले में कुछ दिन में फैसला भी सुनाया दिया जाएगा। फिर भी उन्होंने तरह का बयान दिया है, यह न्यायिक अतिरिक्त है। इसके साथ ही ओवैसी ने 1991 के एकट का भी जिक्र किया। ओवैसी ने कहा कि प्लेसेस ऑफ वॉरशिप एकट को सभी को मानना होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उसे नकार नहीं सकते। उन्होंने कहा कि आप मुख्यमंत्री हैं, आपको कानून को पालन करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि योगी को पढ़ना चाहिए कि विवेकानंद ने ओवैसी के एक मंदिर को लेकर क्या कहा है। आप कानून का पालन नहीं करना चाहते। आप मुख्यमंत्री हैं और उसके पास दबाव डालना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जिस जगह 400 साल से मंदिर है, आप उस जगह पर दबाव लगा चाहते हैं। ओवैसी ने कहा कि आप 400 साल पीछे जाना चाहते हैं या फिर देश को 100 साल आगे ले जाना चाहते हैं।



## पीएमएल-एन सत्ता में लौटने पर नवाज होंगे पीएम : शहबाज

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में वित्त मंत्री इशाक डार की नियुक्ति की संभवना से इनकार करते हुए कहा कि आगामी आम चुनावों को पारदर्शी बनाने के लिए अगले महीने अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने के लिए एक तरथ व्यक्ति का चयन किया जाएगा। पाकिस्तान मुस्लिम लोग-नवाज (पीएमएल-एन) पार्टी के अध्यक्ष शहबाज शरीफ ने संकेत दिया कि 2019 से लंदन में स्व-निर्वासित निर्वासन में रह रहे तीन बाद के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ अगले कुछ हफ्तों में पाकिस्तान लौट आएंगे।

उन्होंने कहा कि आगर पार्टी चुनाव जीती है तो 73 वर्षीय पीएमएल-एन सुर्योदयी मंत्री होंगे। उन्होंने जियो न्यूज को बताया कि नेशनल असेंबली (एनए) के विवरण की अधिकृत्ता नाम संसद के निचले सदन का कार्यकाल पूरा होने से कुछ दिन पहले राष्ट्रपति आरिक अल्वी को भेज दी जाएगी। उन्होंने कहा कि एगए 12 अगस्त की रात 12 बजे अपना कार्यकाल पूरा कर लेगा। उन्होंने कहा कि सहयोगी दलों में से एपीएमएल-एन संसद के सर्वोच्च नेता नवाज शरीफ और नेशनल असेंबली में विषयक के नेता राजा रियाज के साथ परामर्श के बाद कार्यवाहक व्यवस्था पर



समहमत होगी। शहबाज ने अपने गठबंधन सहयोगियों से समहमत जताते हुए कहा कि यहाँ पर एक तरथ व्यक्ति को नियुक्त किया जाना चाहिए ताकि कोई भी चुनाव के नीतीजों पर सवाल न उठा सके। उन्होंने कहा कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि केंद्र में एक बहुत ही कुशल अंतरिम सरकार होगी। उन्होंने कहा कि पीएमएल-एन सुर्योदयी नवाज शरीफ को पाकिस्तान लौटने पर कानून का सामना करना पड़ेगा।

समायोजन करने की कोशिश करेगी, साथ ही कहा कि पार्टी उन क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार उत्तरीयों जहा वे आम समहमत तक नहीं पहुँच पाएंगे। कार्यवाहक ढांचे को नीतिगत नियंत्रण लेने के लिए सशक्त बनाने वाला एक विधेयक हाल ही में संसद द्वारा पारित किया गया था। शहबाज ने यह भी कहा कि पीएमएल-एन सुर्योदयी नवाज शरीफ को पाकिस्तान लौटने पर कानून का सामना करना पड़ेगा।


### खैबर पख्तूनख्बा में आत्मघाती बम विस्फोट के पीछे इस्लामिक स्टेट का हाथ

पाकिस्तान के अशांत खैबर पख्तूनख्बा प्रांत की पुलिस ने सोमवार को कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि एक कट्टरपंथी इस्लामिक पार्टी के राजनीतिक समेलन में हुए आत्मघाती विस्फोट के पीछे प्रतिविधि आतंकवादी समूह इस्लामिक स्टेट (आईएस) का हाथ है। इस विस्फोट में कम से 44 लोगों की मौत हो गई थीं और 100 से अधिक लोग घायल हुए हैं। यह विस्फोट रविवार को हुआ था, जब कट्टरपंथी जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम-फजल (जेयूआई-एफ) के 400 से अधिक सदस्य खार शहर में एक सभा के लिए एकत्रित हुए थे। इस शहर की सीमा अफगानिस्तान से लगती है। 'जियो न्यूज' ने पुलिस अधिकारियों के हवाले से कहा, 'हम बाज़र विस्फोट की अब भी जांच कर रहे हैं और उसके बारे में सूचना जुटा रहे हैं।' प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि इसके पीछे प्रतिविधि आतंकवादी संगठन द्वारा राष्ट्रपति आरिक अल्वी का हाथ है।' पुलिस के मुताबिक, वह आत्मघाती हमलावर के बारे में जानकारी जुटा ही है। जबकि बम नियोधक दस्ता घटनास्थल से सबूत एकत्रित कर रहा है। जिला पुलिस अधिकारी नजर खान ने बताया कि तीन संदिधों को हिसास में लिया गया है। प्रांतीय पुलिस प्रमुख अख्दार हवायत खान के अनुसार, विस्फोट को अंजाम देने के लिए 10 किलोग्राम विस्फोट का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने बताया कि हमलावर राजनीतिक सम्मेलन में शामिल लोगों में से एक था और वह पहली पंक्ति में बैठा हुआ था। स्थानीय पुलिस के मुताबिक, हमलावर ने सम्मेलन के मंच के पास खुद को विस्फोट से उड़ा लिया। पुलिस और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, विस्फोट जेयूआई-एफ नेता मोलाना अब्दुल रसीद के मंच पर पहुँचने के तुरंत बाद हुआ।



## कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने अध्यादेश बिल के विरोध को गलत बताया

■ ये बिल सदन में पास होना चाहिए, ये बिल दिल्ली की स्थिति के मुताबिक है



नई दिल्ली। संसद के मानसून सत्र में केंद्र के दिल्ली सेवा अध्यादेश को बिल के रूप में पेश किया जाना है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जहां इसे किसी भी हाल में पास करवाने के लिए कमर कस चुकी है वहीं विषयक इसे किसी भी सूरत में राजनीति के बाद लेना चाहिए। इसे किसी भी सूरत में राजनीति के बाद लेना चाहिए। इसे किसी भी सूरत में राजनीति के बाद लेना चाहिए।

बता दें कि दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण पर अध्यादेश अगर सदसद के दोनों सदनों में पास हो गया तो ये आम आदमी पार्टी के बाद लेना चाहिए। इसे किसी भी सूरत में राजनीति के बाद लेना चाहिए। इसे किसी भी सूरत में राजनीति के बाद लेना चाहिए।

बता दें कि दिल्ली के सेवाओं के नियंत्रण पर अध्यादेश अगर सदसद के दोनों सदनों में पास हो गया तो ये आम आदमी पार्टी के बाद लेना चाहिए। इसे किसी भी सूरत में राजनीति के बाद लेना चाहिए।

बता दें कि बिल के प्रावधानों के तहत नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अधिकारी के गठन का प्रस्ताव है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अधिकारी के अध्यक्ष होंगे। इसके अलावा दिल्ली के मुख्य सर्विस के नियंत्रण पर सुर्योदयी पार्टी के बाद लेना चाहिए।

बता दें कि बिल के प्रावधानों के तहत नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अधिकारी के गठन का प्रस्ताव है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अधिकारी के अध्यक्ष होंगे। इसके अलावा दिल्ली के मुख्य सर्विस के नियंत्रण पर सुर्योदयी पार्टी के बाद लेना चाहिए।

बता दें कि बिल के प्रावधानों के तहत नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अधिकारी के गठन का प्रस्ताव है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अधिकारी के अध्यक्ष होंगे। इसके अलावा दिल्ली के मुख्य सर्विस के नियंत्रण पर सुर्योदयी पार्टी के बाद लेना चाहिए।

बता दें कि बिल के प्रावधानों के तहत नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अधिकारी के गठन का प्रस्ताव है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अधिकारी के अध्यक्ष होंगे। इसके अलावा दिल्ली





